



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]
No. 97]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2011/फाल्गुन 6, 1932
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2011/PHALGUNA 6, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 109(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उप धारा (2) के खण्ड (च) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक माप विज्ञान (संख्यांकन) नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (संख्यांकन) संशोधन नियम, 2011 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2011 को प्रवृत्त होंगे।
2. विधिक माप विज्ञान (संख्यांकन) नियम, 2011 के नियम 1 के उप नियम (2) में "1 मार्च, 2011 को" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2011 को" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. डब्ल्यू एम 9(6)/2010-पार्ट]

राकेश कक्कड़, विशेष सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 13(अ) तारीख 7.1.2011 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd February, 2011

G.S.R. 109(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (f) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Legal Metrology (Numeration) Rules, 2011, namely :-

1. (1) These rules may be called as the Legal Metrology (Numeration) Amendment Rules, 2011.

(2) These shall come in to force on the 1st day of April, 2011.

2. In the Legal Metrology (Numeration) Rules, 2011, in rule 1, of sub-rule (2), for the words, figures and letters "on the 1st day of March, 2011" the words, figures and letters "on the 1st day of April, 2011" shall be substituted.

[F. No. WM 9(6)/ 2010-Pt.]

RAKESH KACKER, Spl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 13 (E) Dated 7.1.2011.